न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/10 दायरा दिनांक : 08.03.2022

उनवान

1– जोधराज पुत्र मूलचन्द, जाति धाकड
2– विष्णु प्रसाद पुत्र जोधराज, जाति धाकड
3– विजेन्द्र पुत्र जोधराज, जाति धाकड
निवासीगण ग्राम फूंसरा, तहसील व जिला बारां .... अपीलांट

बनाम

1– शारदा पत्नी श्री महेन्द्र कुमार, जाति धाकड
2– संजू पत्नी श्री सुरेश, जाति धाकड
निवासीगण ग्राम मण्डोला, तहसील व जिला बारां .... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2022/11 दायरा दिनांक : 08.03.2022

उनवान

1– जोधराज आत्मज मूल चन्द, जाति धाकड
2– विष्णु प्रसाद आत्मज जोधराज, जाति धाकड
3– विजेन्द्र आत्मज जोधराज, जाति धाकड
निवासीगण ग्राम फूंसरा, तहसील व जिला बारां .... अपीलांट

बनाम

1– शारदा पत्नी महेन्द्र कुमार, जाति धाकड
2– संजू पत्नी सुरेश, जाति धाकड
निवासीगण ग्राम मण्डोला, तहसील व जिला बारां ..... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री ओ0 पी0 मेहता।। अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 28.12.2023

1 ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

2 ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या 11/2020 निर्णय दिनांक 26.10.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

3 दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेंट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम इकलेरा, पटवार हल्का इकलेरा, तहसील बारां की आराजी खाता संख्या 397 की खसरा नम्बर 1346 रकबा 4.76 हेक्टर, खसरा नम्बर 1346/1583 रकबा 0.53 हेक्टर, खसरा नम्बर 1347 रकबा 0.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 1658/1346 रकबा 0.14 हेक्टर कुल 4 किता कुल रकबा 5.59 हेक्टर स्थित है जो विवादित आराजियात है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय दिनांक 26.10.2021 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण का काउंटर क्लेम खारिज किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम इकलेरा, तहसील बारां के खसरा नम्बर 1346 रकबा 4.76 हेक्टर, खसरा नम्बर 1346/1583 रकबा 0.53 हेक्टर, खसरा नम्बर 1347 रकबा 0.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 1658/1346 रकबा 0.14 हेक्टर पर पक्षकारान को मूल वाद के निर्णय तक जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मौके एवं रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने ये दोनों अपीले पेश की।

4 अपील संख्या 2022/10 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.10.2021 पत्रावली संख्या 11/2020 की पत्रावली के तथ्यों एवं दस्तावेजातों के विपरीत विधि संचायिका के सर्वमान्य सिद्धान्तों एवं प्रावधानों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट क्रम 01 व रेस्पोडेन्ट के मध्य सीमा विवाद बाबत लम्बित वाद संख्या 07/2011 के विवाद को समाप्त करने के लिए अपीलान्ट ने अपने खाते के खसरा नं0 1346/1576 क्षेत्रफल 0.16 हेक्टर में से 0.14 हेक्टर आराजी रेस्पोडेन्ट को देकर राजीनामा कर लम्बित वाद का राजीनामा अनुसार निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2015 से निस्तारण हुआ। अपीलान्ट के खाते की आराजी कुल 2 किता क्षेत्रफल 4.72 हेक्टर आराजी का सीमाज्ञान कर दिनांक 29.11.2019 को अपीलान्टगण को संभलायी पालना रिपोर्ट से रेस्पोडेन्टगण के संतुष्ट होने पर

दिनांक 24.02.2020 को पूर्ण पालना के आधार पर इजराय संख्या 18/2016 का अन्तिम रूप से निस्तारण होने के उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट अपने कामदार सुरेश कुमार व नाथूलाल के माध्यम से अपीलान्ट के कब्जे काश्त की आराजी दखल अन्दाजी कर अपीलान्ट के खाते की आराजी की सीमा पर अतिक्रमण करने पर आमादा रहती है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रति प्रार्थना पत्र के तथ्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड एवं पालना रिपोर्ट दिनांक 29.11.2019 को अनदेखा कर रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट का प्रति प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने में विधि एवं तथ्य की भारी भूल की है, अस्तु निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26.10.2021 में अपीलान्ट के प्रति प्रार्थना पत्र को खारिज करने का आधार नही बताया, अस्तु निर्णय अधीनस्थ न्यायालय मनमाना, साम्य, न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों एवं प्रावधानों से असंगत, मुक निर्णय होने से निरस्तनीय है। इजराय संख्या 18/2016 की पालना में सीमाज्ञान हेतु गठित टीम ने दिनाक 29.11.2019 को सीमाज्ञान कर रेस्पोडेन्टगण के खाते की आराजी 5.59 है0 के वाद 0.43 है0 आराजी को अपीलान्ट की आराजी के सीमांकन में सम्मिलित कर मौके पर अपीलान्ट को 4.72 है० आराजी सीमांकन अनुसार दखल देकर सुपुर्द की और पालना रिपोर्ट दिनांक 29.11.2019 पेश की। उक्त पालना रिपोर्ट दिनांक 29.11.2019 के आधार पर अपीलान्ट का प्रति प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया, सुविधा का सतुलन अपीलान्टगण के पक्ष में होने से प्रति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना था। ऐसा न कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण का प्रति प्रार्थना पत्र खारिज करने में विधि एवं तथ्य की भूल की है। अस्तु निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य है। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई विवेचना में अप्रार्थी और अप्रार्थीगण दोनों की आराजी बाबत पुनः सीमाज्ञान टीम गठित करवायी जावे। मूल वाद के निर्णय तक पक्षकारान को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना न्यायोचित माना। उक्त विवेचना से असंगत क्रियात्मक आदेश पारित किया, जिसमें अपीलान्टगण का प्रति प्रार्थना पत्र खारिज किया और प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी पर पक्षकारान को यानि अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्टगण को मूल वाद के निर्णय तक मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया। उक्त क्रियात्मक आदेश अस्पष्ट मौके पर विवादों को उलझाकर परिशान्ति भंग करने वाला मनमाना एवं असंगत आदेश होने से यथावत रहने योग्य नहीं है, अतः निरस्तनीय है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 26.10.2021 निरस्त फरमाया जाये।

5 अपील संख्या 2022/11 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26–10–2021 पत्रावली सं0 11/2020 की पत्रावली के तथ्यों एवं दस्तावजों के विपरीत विधि संचायिका के सर्वमान्य सिद्धान्तों एवं प्रावधानों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत काउन्टर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने में त्रुटि की है। अपीलान्ट नं० 1 व रेस्पो० के मध्य सीमा विवाद बाबत लम्बित वाद सं0 07/2011 के विवाद को समाप्त करने के लिए अपीलान्ट ने अपने खाते के खसरा नम्बर 1346/1576 क्षेत्रफल 0.16 हेक्टर में से 0.14 हेक्टर आराजी रेस्पो० को देकर राजीनामा कर लम्बित वाद का राजीनामा अनुसार निर्णय व डिक्री दिनांक 28–05–2015 से निस्तारण हुआ। अपीलान्ट के खाते की आराजी कुल 2 किता क्षेत्रफल 4.72 हेक्टर आराजी का सीमाज्ञान कर दिनांक 29–11–2019 को अपीलान्टान को संभलायी, पालना रिपोर्ट से रेस्पोडेन्टान के सन्तुष्ट होने पर दिनांक 24–2–2020 को पूर्ण पालना के आधार इजराय सं0 18/2016 का अन्तिम रूप से निस्तारण होने के उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट अपने कामदार सुरेश कुमार व नाथूलाल के माध्यम से अपीलान्ट के कब्जे काश्त की आराजी दखल अन्दाजी कर अपीलान्ट के खाते की आराजी की सीमा पर अतिक्रमण करने पर आमादा रहती है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रति प्रार्थना पत्र के तथ्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड एवं पालना रिपोर्ट दिनांक 29–11–2019 को अनदेखा कर रेस्पो० का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट का प्रति प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने में विधि एवं तथ्य की भारी भूल की है। अतः आदेश जेर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26–10–2021 में अपीलान्ट के प्रति प्रार्थना पत्र को खारिज करने का आधार नहीं बताया। प्रतिवादी अपीलान्ट द्वारा उसके खाते व कब्जे की भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के तथ्य भी आदेश जेर अपील में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंकित नही किये गये है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित हुक्म जेर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश मनमाना त्रुटि पूर्ण एवं गैर कानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य है। इजराय सं० 18/2016 की पालना में सीमाज्ञान हेतु गठित टीम ने दिनाक 29–11–2019 के सीमाज्ञान कर रेस्पोडेन्टान के खाते की आराजी 5.59 हेक्टर के बाद 0.43 हेक्टर आराजी को अपीलान्ट की आराजी के सीमांकन में सम्मिलित कर मौके पर अपीलान्ट को 4.72 हेक्टर आराजी सीमांकन अनुसार दखल देकर सुपुर्द की और पालना रिपोर्ट दिनांक 29–11–2019 पेश की। उक्त पालना रिपोर्ट दिनांक 29–11–2019 के आधार पर अपीलान्ट का प्रति प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन अपीलान्टानगण के पक्ष में होने से प्रति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना था। ऐसा न कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टान का प्रति प्रार्थना पत्र खारिज करने में विधि एवं तथ्य की भूल की है। अस्तु निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अपील अपीलान्टान स्वीकार योग्य है। पत्रावली के अवलोकन के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी विवेचना में अप्रार्थी और अप्रार्थीगण दोनों की आराजी बाबत पुनः सीमाज्ञान टीम गठित करवायी जाये। मूल वाद के निर्णय तक पक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना न्यायोचित माना। उक्त विवेचना से असंगत कियात्मक आदेश पारित किया, जिसमें अपीलान्टगण का प्रति प्रार्थना पत्र खारिज किया और प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी पर पक्षकारान को यानि अपीलान्टानगण व रेस्पो० को मूल वाद के

निर्णय तक मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिती बनाये रखने हेतु जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया, उक्त क्रियात्मक आदेश असंगत मौके पर विवादों को सुलझा कर परिशाति भंग करने वाला मनमाना एवं असंगत आदेश होने से यथावत रहने योग्य नहीं है, अतः निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्पीकिंग ऑर्डर की तारीफ में नहीं आने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा हुक्म जेर अपील बाबत काउन्टर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पूर्व में सम्माननीय न्यायालय में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 26–10–21 निरस्त फरमाया जाये तथा प्रतिवादी अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र बाबत ग्राम इकलेरा की खसरा नम्बर 1345 की 4.700 हेक्टर एवम् खसरा नम्बर 1346/2576 की 0.02 हेक्टर जुमला 2 किता की 4.7200 हेक्टर स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी अपीलान्ट के पक्ष में वादी रेस्पो0 के विरूद्ध ताफैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी फरमायी जावे कि वे प्रतिवादी अपीलांट्स के खाते व कब्जे की उपरोक्त आराजियात में प्रतिवादी अपीलान्ट के कब्जे काश्त में कोई हस्तक्षेप नहीं करे, प्रतिवादी अपीलान्ट को उपरोक्त भूमि शांति पूर्वक काश्त करने देवे, वादी रेस्पो० सीमाकंन के चिन्हों को तोड़ फोड़ नहीं करे, उक्त कृत्य न तो स्वयं करें और न अपने प्रतिनिधि एवं कामदारों से करावें।

6 दोनों अपीले प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपने पक्ष के समर्थन में आर. आर.टी. 2010(2) पेज 1421 न्यायिक दृष्टांत पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गई। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

9 अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि वादी रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत वाद प्रस्तुत किया और इस वाद के साथ धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया। अप्रार्थी अपीलांट द्वारा धारा 212 आर.टी.एक्ट के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर उसके धारा 212 आर.टी.एक्ट का काउंटर प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.10.2021 को पारित निर्णय में धारा 212 आर.टी.एक्ट के तीनों मुख्य बिन्दुओं पर कोई फाईडिंग नहीं दी। अंतिम आदेश में दोनों पक्षों को सुनकर प्रार्थी रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया और अप्रार्थी अपीलांट का काउंटर प्रार्थना अस्वीकार कर उभयपक्ष को मूल वाद के निर्णय तक जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना पत्र में दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् भूमि व रिकॉर्ड की यथास्थिति रखने का आदेश अंतरिम आदेश के रूप में दिया जा सकता है। लेकिन अंतिम आदेश के रूप में नहीं दिया जा सकता है। अपने पक्ष के समर्थन में विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी अपीलांट द्वारा 2010 (2) आर.आर.टी. 1421 पेश की।

10 रेस्पोडेंट के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्क में कथन किया कि प्रार्थी रेस्पोडेंट द्वारा खातेदार की हैसियत अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत पेश कर उसके साथ धारा 212 आर.टी.एक्ट का एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अप्रार्थी अपीलांट द्वारा धारा 212 आर.टी.एक्ट के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर जवाब के साथ काउंटर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत किया। धारा 212 आर.टी.एक्ट के प्रार्थना पत्र में काउंटर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय के माध्यम से दोनों पक्षों को पाबन्द करते हुए मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत है।

11 हमने प्रस्तुत दोनों अपीलों पर ध्यानपूर्वक मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया।

12 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के खातेदारी की भूमि है अर्थात् अपीलांट व रेस्पोडेंट वर्तमान में विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। उभयपक्ष के मध्य विवादित भूमि की सीमा को लेकर पहले से ही विवाद होना प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। पूर्व में अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट के विरूद्ध धारा 183 आर.टी.एक्ट व धारा 136 एल. आर. एक्ट के तहत एक वाद प्रस्तुत किया था, जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा पक्षकारों के मध्य हुए राजीनामे के आधार पर दिनांक 28.05.2015 को निर्णय पारित करते हुए अंतिम डिक्री जारी की गई। प्रार्थी रेस्पोडेंट द्वारा पुनः इसी विवादित भूमि के सन्दर्भ में एक वाद अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 188 आर. टी.एक्ट पेश कर इस वाद के साथ धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया। इस प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को सुनने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय प्रार्थी रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी अपीलांट का काउंटर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया तथा उभयपक्षों को पाबन्द करते हुए विवादित आराजी के

मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखने का आदेश पारित किया। विवादित भूमि में उभयपक्ष के मध्य सीमा का जो विवाद है उसका निस्तारण मूल वाद में होना है।

13 अधीनस्थ न्यायालय ने वर्तमान अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभयपक्ष को पाबन्द किया है। धारा 212 आर.टी.एक्ट के प्रार्थना पत्र का अंतिम रूप से निस्तारण करने के समय यथास्थिति का आदेश दिया जाना अवैधानिक है। यथास्थिति का आदेश अपने आप में स्पष्ट आदेश नहीं है। धारा 212 आर.टी.एक्ट के प्रकरण के निस्तारण हेतु आवश्यक तीनों बिन्दुओं प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीयक्षति के बिन्दु पर विवेचन नहीं किया गया है, जबकि उक्त तीनों बिन्दुओं पर विवेचन कर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का निर्णय किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों खातेदार काश्तकार के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है। यथास्थिति का आदेश एक अंतरिम व्यवस्था है, इसे अंतिम आदेश के रूप में पारित करना विधि सम्मत नहीं माना जा सकता।

14 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील संख्या 2022/10 आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2021 मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश तक अपास्त किया जाता है।

15 अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 2022/11 जो अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत धारा 212 आर.टी. एक्ट के काउंटर प्रार्थना पत्र के खारिज होने के सन्दर्भ में पेश की गई है आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है क्योंकि वादग्रस्त आराजी के उभयपक्ष खातेदार है और इस वादग्रस्त आराजी के सन्दर्भ में पूर्व में भी अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट के विरूद्ध धारा 188 आर.टी.एक्ट व धारा 136 एल. आर. एक्ट के तहत एक वाद प्रस्तुत किया था, जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा पक्षकारों के मध्य हुए राजीनामे के आधार पर दिनांक 28.05.2015 को निर्णय पारित करते हुए अंतिम डिक्री जारी की गई थी। प्रार्थी रेस्पोडेंट द्वारा पुनः इसी विवादित भूमि के सन्दर्भ में एक वाद अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 188 आर. टी. एक्ट पेश किया हुआ है, जो विचाराधीन होना अवगत कराया है। इस वाद के अंतिम रूप से निर्णीत होने तक उभयपक्ष पूर्व में हुए राजीनामे को मानने हेतु पाबन्द है। उभयपक्ष के मध्य वादग्रस्त आराजी को लेकर पूर्व से ही विवाद रहा है और दोनों ही पक्ष वादग्रस्त आराजी के खातेदार हैं ऐसी स्थिति में धारा 212 आर.टी.एक्ट के प्रावधानों के तहत किसी एक पक्ष के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना विधिसम्मत नहीं माना जा सकता।

16 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट काउंटर क्लेम अपील संख्या 2022/11 आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उभयपक्ष को वादग्रस्त आराजी के खातेदार होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन मूल वाद के अंतिम रूप से निर्णय होने तक पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्षकारान अपने अपने खाते की आराजी पर पूर्व वाद में हुए राजीनामे के अनुसार शांतिपूर्ण रूप से काश्त करते रहेगें एवं एक दूसरे की खातेदारी आराजी पर एक दूसरे के कब्जे व काश्त में दखलअंदाजी नहीं करेंगे।

17 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/12/2023

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा